All India Union of Forest Working People (AIUFWP)
अखिल भारतीय वन-जन श्रमजीवी यूनियन
Email : aiufwp@gmail.com
6, Toot Sarai, Malviya Nagar
New Delhi- 110017
PROTECT LIVELIHOOD
PROTECT RESOURCES
AIUFWP

सेवा में

दिनाक : 2, अप्रैल, 2025

श्री राहुल गांधी
नेता प्रतिपक्ष
संसद भवन नई दिल्ली

विषय - देश में अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006, वन अधिकार कानून 2006 के प्रभावी क्रियान्यान के संबंध में।

महोदय,
आपसे निवेदन है की देश में वन अधिकार कानून को लागू करने के विषय में प्रगति बेहद ही धीमी गति से चल रही है, इस विषय में हम आपके समक्ष अपने मुद्दों को पेश करना चाहते हैं ।

देश में वनाधिकार कानून 2006 में UPA (I) सरकार के दौरान संसद में पारित हुआ जिससे आज़ादी के बाद पहली बार वनश्रित समुदाय को वन विभाग की दमनकारी राज से मुक्ति मिली। यह कानून तो लागू जरूर हुआ लेकिन अभी भी धरातल में इस कानून को पूरी तरह से अमल में नहीं लाया जा रहा। इसके कई कारण है जैसे - राज्य सरकारों द्वारा इस कानून के प्रति राजनीतिक इच्छा न होना, दूसरा अधिकारियों द्वारा कानून की अनदेखी करना, तीसरा कानून लागू न होने की वजह से वन विभाग द्वारा वन आश्रित समुदायों का उत्पीड़न जारी रखना और बेदखली करना। साथ ही वनाधिकार का दावा करने पर वन विभाग द्वारा ही वनों में रहने वाले असंख्य आदिवासी अन्य परंपरागत समुदायों पर झूठे फर्जी मुकदमे लगाना भी शामिल है।

इसके अलावा कानून लागू करने के लिए समुदाय को जो मदद मिलनी चाहिए वह राज्य सरकारों एवम अधिकारियों से नहीं मिल पा रही जिसकी वजह से वन आश्रित समुदायों को आए दिन उत्पीड़न को सहना पड़ रहा है।

वन अधिकार कानून 2006 के तहत ग्राम सभा को इस कानून को लागू करने के लिए मुख्य भूमिका सौंपी गई है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा वनों में रह रहे आदिवासियों एवं अन्य परंपरागत समूह को कानून के बारे में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं दी जाती। इसके बावजूद भी जो व्यक्तिगत दावे और सामुदायिक दावे किए गए हैं उनको अधिकारियों द्वारा कानून की अनदेखी कर निरस्त किया जा रहा है।

हमारे यूनियन द्वारा किए गए सामुदायिक दावों जिसकी सूची संलग्न है इन दावों पर अभी तक किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं दिया गया है। इस संबंध में हम आपको यह पत्र सौंप रहे हैं ताकि हमारे द्वारा किए गए दावा पर फैसला लेकर दावेदारों को उनके हक दिलाये जाए। इस सन्दर्भ में हमारे यूनियन से जुड़े कई राज्यों के प्रतिनिधि मंडल आपसे विशेष रूप से वार्ता करना चाहते है आपसे अनुरोध है कि आप इस सन्दर्भ में हमारे प्रतिनिधि मंडल को समय दे।

धन्यवाद,

सोकलो गोंड
अध्यक्ष
मो॰ 9559701868
संलग्न : यूनियन द्वारा किए गए सामुदायिक दावों की सूची।